

तिख हुकम

14/05/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.  
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी  
को पर अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा  
दिनांक 25/06/19 को पेश हो

25/6

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 4, 5 एवं  
तत्पित्री प्रतिवादीगण 7 ता 9 की तामील जामें  
रजिस्टर्ड ए.पी. किये एक माह से अधिक  
का समय होगया है। उक्त प्रतिवादीगण जामें  
तत्पित्री प्रतिवादीगण की ओर से कोई शपि  
उदाहृत नही आया है। अतः प्रतिवादीगण  
सं. 4, 5 एवं तत्पित्री प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9  
के विरुद्ध एक पक्षीय जामल में  
लहि जाती है। वकील वादी श्वात पूर्व में  
सद्व्य वाकत शपय पत्र पूर्व पेश किये  
गये जो अभिलेख पर लिखे जाता है।  
वकील वादी की उजाण में एक पक्षीय  
बहस सुनी गई। पत्रावली वाले आदेशानु  
सार दिनांक 11/07/19 को पेश हो

11/07/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी सं. 1  
पत्रावली लपताभाव के कारण पूर्व दिशा उला  
दि. 24/07/19 को पेश हो

24/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी सं. 1  
वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अस्थित।  
प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के विरुद्ध

एकपक्षीय कार्रवाई पूर्व में ही झमल में लाई जा चुकी है। दौरान बहल वाली ने वादपत्र में अभिलिखित बयानों को दोहराते हुए अनुतोष मुताबिक दावा डिमी का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने राजीनामा के तर्कों का दोहराव करते हुए वादी को अनुतोष मुताबिक डिमी पर सहमति माहिर की।

पत्रावली, पत्रावली पर इफ्तखार साक्ष्यों जमावती ख. नं. 258, खसरा नकशा एवं जमावती - 258, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा (शपथ-पत्र), इकबाली जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 ता 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बावड़ी, शपथपत्र स्वतंत्र गवाहान PW-1, PW-2 का सगौर अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष-कारान की बहल एवं तर्कों का ध्यान पूर्वक मनन किया गया। समस्त साक्ष्यों व गवाहान के बयानात के मध्यमजर वादी का दावा स्वीकार करने योग्य पाए जाने पर स्वीकार न्यायहित में किया जाता है तथा घोषणा उस आशय की की जाती है कि :-

### आदेश

तन ग्राम बावड़ी परिवार हल्का बावड़ी तहसील बण्डेला, बीकान, में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 258 रकबा 0.0200 हेक्टर, में राजस्व रेकार्ड से भूतक खातेदार ज्योनारायण पुत्र भोगीलाल हिल्सा-पूर्व जाति महाजम सा. देह खातेदार

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही ग्रय लघुहस्ताक्षर जज

का नाम हजफ़ किया जाकर वारी एवं  
मतिवारी सं 4, 5, 7 ता 3 को खातेदार  
काइतकार बहिस्ता वरावर घोषित किया  
जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में  
अमल करामद हो। तहसीलदार एवं  
उपपंजीयक खण्डेला त्रिमभानुसार स्तम्भ  
इन्वली। एक भाग शुल्क लेकर राजस्व  
रेकॉर्ड में अमल करामद करें। तदनुसार  
पच्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा  
बाद तकमील काजिल दफ़तर हो।  
निर्णय खुले माअालम में सुनाया गया।



24/07/11  
(महीपाल सिंह) RAS  
राज्यिक कलियकर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

# अभिनि डिफ्री मुकदमा इवटादाइ


(ओ. 20 रुल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फाएल डेक) खजेम  
 व इजलास श्री मदीपाल सिंह RAS.  
 (1) सांवरमल पुत्र रामनिवास \*  
 दावा बाबत खोषधा  
 मुकदमा नं. 168 सन 2018  
 यह मुकदमा आज भारत इन्फोर्साल कतई करक श्री मदीपाल सिंह RAS.  
 व हाजिरी श्री रामावहाल एस. मिनजानिय मुकदं करक श्री वसंत कुमार एस.  
 मिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम वावड़ी पं. 80 वावड़ी तहसील खजेम जिला सीकट  
 में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 258 रकबा 0.0200 हे० में  
 राजेश रिचाड से मृतक खातेदार शोनाशपठ पुत्र मांगीलाल  
 हिस्सा-पूर्व जाति महाजन सां. 68 खातेदार को नाम एजफ  
 निज \* मुवलिग \* वावत \*  
 फीसदी का नाम आज की तारीख से

अर्था उस मुकदमें के नया सूद मसारह \* का अदा करे।  
 जोरख अदायगी तक \* माह. 07 सन 2019 को  
 मसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24

जारी की गई।  
 मुहर



दस्तखत  
 ओहदा (मदीपाल सिंह) RAS  
 सहायक कलक्टर  
 (फाएल डेक) खजेम

मुद्दाई	रुपय	पैसे	मुदायलह
रदाम्य अर्जी दावा			रदाम्य अर्जी दावा
रदाम्य वकालत नामा			रदाम्य अर्जी
रदाम्य वजह सबूत			महन्ताना वकील
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुकमानामा
वावत इजराय हुकमानामा			मुतफरिक
मुतफरिक			
गोजान			गीजान

नोट इस खर्चा के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकट का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं उर्ज करना चाहिए।

\* आति महाजन निवासी  
बाकडी तहसील खण्डेला  
जिला खीर (राज०)  
- वादी



- ⊕ (2) कृष्णा देवी पुत्री रामनिवास  
(3) सरोज पुत्री रामनिवास  
(4) इंदुतला पुत्री रामनिवास  
(5) खरमणी देवी पत्नी रामनिवास  
समस्त आति महाजन निवासी  
बाकडी तहसील खण्डेला जिला  
खीर (राज०)  
(6) भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला  
जिला खीर (राज०)  
- प्रतिवादीगण

- (7) शंकर लाल पुत्र रामनिवास  
(8) जनवारी लाल पुत्र रामनिवास  
(9) चैन सुख पुत्र रामनिवास  
समस्त आति महाजन निवासी  
बाकडी तहसील खण्डेला जिला  
खीर (राज०) (तरतीबी प्रतिवादी)

⊕ निम्ना जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं० 4, 5, 7 तऱ 9  
को खातेदार काकत कार बहिल्ला कराकर घोषित किया जाता  
है। उक्तानुसार राजस्व विभाग में अमल दरामद है।  
तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डेला निपमानुसार स्टाम्प  
ड्यूटी। एक ल्याग न्युक्क लीकर राजस्व विभाग में अमल  
दरामद करे। 24/03/19

(महीपाल सिंह) RAS  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला